मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

प्रधान कार्यालय, न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म0प्र0)

फोन कार्या. 0755–2674738, फैक्स 0755–2674718

वाहन विक्रय सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के निम्नलिखित वाहन ''जहाँ हैं, जैसी हैं'' की स्थिति में बंद नीलामी प्रकिया से विक्रय किया जाना है । वाहनों का अवलोकन बैंक मुख्यालय, टी.टी. नगर भोपाल में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों को छोड़कर) में किया जा सकता है । इच्छुक पार्टियों/व्यक्ति को निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र 500/– मात्र में बैंक से प्राप्त करने होंगे । सीलबंद निविदाऐं पृथक – पृथक वाहन के लिये पृथक – पृथक धरोहर राशि रू. {**मारूती वैन** हेतु रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) एवं **बोलेरो ,टाटा सफारी एवं फार्च्युनर** हेतु रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र)} बैंक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 05.03.2019 को दोपहर 5.00 बजे तक बैंक कार्यालय में जमा करना होगा एवं मुहर बंद निविदाऐं दिनांक 06.03. 2019 को अपरान्ह 01.00 बजे बैंक मुख्यालय भोपाल में खोली जावेंगी । अन्य नियम व शर्ते कार्यालयीन दिवस में देखे जा सकते है । किसी भी समय बिना कारण बताये प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' को होगा । विज्ञापन एवं शर्ते बैंक की वेबसाईट www.apexbank.in पर भी देखी जा सकती हैं । विक्रय योग्य वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :–

कं.	वाहन कमांक	मेक	मॉडल	चलित किमी	ईंधन	विक्रय सूचना
1.	MP04CF7216	Maruti Van	2010	204000	पेट्रोल	प्रथम
2.	MP04CF7402	Maruti Van	2010	117000	पेट्रोल	प्रथम
3.	MP04CF9350	Bolero	2011	295000	डीजल	प्रथम
4.	MP04CJ 8507	TATA SAFARI	2012	205000	डीजल	तृतीय
5.	MP09MZ0010	Fortuner	2010	317200	डीजल	तृतीय

प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक * मुख्यालय, भोपाल *

Scanned by CamScanner

म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, टी०टी० नगर, भोपाल

वाहन नीलामी की नियम व शर्ते

1. म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के वाहन "जहाँ है, जैसी है" की स्थिति में बंद नीलामी से विक्रय किया जाना है ।
2. वाहनो की बंद नीलामी समिति के समक्ष दिनांक **06/03/2019** को बैंक मुख्यालय में पूर्वान्ह 1.00 बजे आमंत्रित बंद निविदा खोली जावेगी। निविदाकर्ता अपने साथ एक या अधिकतम दो व्यक्तियो को नीलामी स्थल पर ला सकता है ।
3. इच्छुक पार्टी/व्यक्ति को वाहन की नीलामी प्रकिया में भाग लेने के लिये प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक धरोहर राशि देय होगी जिसके अंतर्गत फॉर्च्युनर ,टाटा सफारी एवं बोलेरो हेतु रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र) एवं मारुति वैन हेतु 10000.00 (रु दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभारी प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के नाम से भोपाल पर देय हो , आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये दिनांक **05/03/2019** को दोपहर **5.00** बजे तक जमा करना अनिवार्य है ।
4. वाहनों के विक्रय हेतु आफसेट मूल्य(प्रारक्षित मूल्य) से कम राशि की बोली स्वीकार नही की जावेगी । विक्रय किये जाने वाले वाहनो का विवरण निम्नानुसार है :–

कं.	वाहन कमांक	मेक	वर्ष	ईंधन	ऑफसेट मूल्य
1.	MP04CF7216	Maruti Van	2010	पेट्रोल	70000.00
2.	MP04CF7402	Maruti Van	2010	पेट्रोल	70000.00
3.	MP04CF9350	Bolero	2011	डीजल	200000.00
1.	MP04CJ 8507	Tata Safari	2012	डीजल	95000.00
2.	MP09MZ0010	Fortuner	2010	डीजल	650000.00

(उपरोक्त वाहनो का रोड टैक्स लाईफ टाईम पैड है ।)

निविदा आवेदन पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिये, जिसके नाम से वाहन अंतरित होना है ।

5. वाहन विक्रय की ऑफर राशि स्वीकृत होने की दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि ही समायोजित की जावेगी एवं अन्य बोलीकर्ताओ की धरोहर राशि का डी०डी० वापिस कर दिया जावेगा । बैंक द्वारा वापिस किये गये किसी भी डी०डी० का समायोजन सफलबोलीकर्ता के पक्ष में नही किया जावेगा ।
6. वाहन विक्रय का आफर स्वीकृत होने पर, वाहन विक्रय की एकमुश्त राशि वाहन केता को बैंक के द्वारा ऑफर पत्र देने के पश्चात् तीन दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं वाहन "जहाँ है, जैसी है" की स्थिति में उक्त स्थान से उठाना अनिवार्य है अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जाकर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को ऑफर की गई राशि पर प्रबंध संचालक के द्वारा यदि स्वीकृति दी गई तो वाहन विक्रय किया जावेगा । अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जाकर पुनः नीलामी की प्रकिया की जावेगी ।
7. बोलीकर्ता का आफर स्वीकृत होने के पश्चात् कार्यालय से बोलीकर्ता के नाम से ही वाहन का केवल विक्रय पत्र दिया जावेगा । **विकित वाहन का आधिपत्य केता द्वारा नाम ट्रांसफर कराये जाने के उपरांत बैंक के द्वारा दिया जावेगा** । आर.टी.ओ. कार्यालय आदि से संबंधित समस्त औपचारिकतायें केता को स्वयं के व्यय पर कराना होगी ।
8. विक्रय योग्य वाहन म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक(अवकाश के दिवसों को छोड़कर) देखे जा सकते है।
9. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रपत्र बंद निविदा एवं पृथक–पृथक धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. विकित वाहन का बीमा केता व्दारा कराया जावेगा, बीमा ट्रांसफर नही किया जावेगा ।केता को नवीन बीमा कराकर बीमा की पॉलिसी की छायाप्रति वाहन सुर्पदगी के सात दिवस में बैंक को देना होगा।
11. बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने या तिथि परिवर्तन करने का अधिकार "प्रभारी प्रबंध संचालक" म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित" को होगा ।
12. वाहन केता व्दारा वाहन मूल्य के साथ समस्त शासकीय करो एवं उपकर आदि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का क्षेत्र माननीय सहकारी न्यायालय, भोपाल मध्यप्रदेश रहेगा ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ... मुख्यालय, भोपाल

प्रभारी प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

Scanned by CamScanner